




कुटेशन नोटिस


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ

जनपद न्यायालय, मेरठ में विभिन्न न्यायालयों एवं कार्यालयों में प्रयोग हेतु कम्प्यूटर उपकरणों के उपयोग में आने वाले कार्टेज 30A को क्रय किये जाने हेतु नोडल अधिकारी कम्प्यूटर जनपद न्यायालय, मेरठ की आख्या दिनांक-21.09.2017 पर जिला न्यायाधीश मेरठ के आदेश दिनांक-04.10.2017 के अनुपालन में ऋषि समिति जनपद न्यायालय, मेरठ द्वारा पंजीकृत फर्म, डीलर्स, विक्रेता/निर्माता से कुटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त कुटेशन दिनांक 30.10.2017 को दोपहर 12:00 बजे तक नजारत, जनपद न्यायालय, मेरठ में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त कुटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा। कुटेशन में सामान का विवरण यथा गारन्टी/वारन्टी की अवधि, भविष्य में मरम्मत किये जाने की सुविधा एवं अन्य आवश्यक विशिष्टियां एवं उसकी अन्य गुणवत्ता स्पष्ट होनी चाहिए। उक्त कुटेशन ऋषि समिति जनपद न्यायालय, मेरठ के समक्ष दिनांक-30.10.2017 को सायं 4:30 बजे तेरह न्यायालय भवन में स्थित मीटिंग हाल में खोले जायेंगे। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को कुटेशन स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।


(विनाय कुमार द्विवेदी)
सदस्य, क्रय समिति/
अपर जिला जज कक्ष सं०-8,
मेरठ।


(प्रमोद कुमार श्रीवास्तव)
सदस्य, क्रय समिति/
विशेष न्यायाधीश (अ०नि०अधि०),
मेरठ।


(मानवेन्द्र सिंह)
सदस्य, क्रय समिति/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)
मेरठ।


(अरुण कुमार मिश्र)
अध्यक्ष, क्रय समिति/
अपर जिला जज कक्ष सं०-1,
मेरठ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

- 1- नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश, मेरठ।
- 2- नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ।
- 3- नोटिस बोर्ड आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 4- नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
- 5- कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद की बेवसाईड पर अपलोड हेतु।